

शून्यता का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत शून्यता आयोग द्वारा लोक प्रामिकरणों में शामिल शून्यता अधिकारियों पर आरोपित अर्गुमण्ड का विवरण

पृष्ठ सं.

माह का नाम: अर्बन, 2022

क्र. सं.	विभाग का नाम	जन-शून्यता अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड प्रारित किया गया	दण्ड प्रारित करने का तिथिक	दण्ड से निहित धनराशि	प्रारित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रयुक्त की गयी धनराशि की अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा जन-शून्यता अधिकारियों के विरुद्ध अनुसामाजिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	प्रारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	राज्य विभाग, सुरादाबाद जेन, सुरादाबाद	श्री रमा शंकर, उपमुख्य राज्य कर	11-07-2018	₹ 5,000/-	शून्य	शून्य	श्री अर्जुन सिंह द्वारा गयी गयी जनशून्यता के सम्बन्ध में भारतीय राजस्व शून्यता अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 11-07-2018 को जारी तत्कालीन डिन्डी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, सुरादाबाद पर जारी की शून्यता आणक्य न करने के सम्बन्ध में लाठीचार्ज का आदेश (आ) का अर्जुन सिंह दिनांक 11-07-2018 को डिन्डी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर सुरादाबाद पर लगाया गया है, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन डिन्डी कमिश्नर के पत्र में उक्त लाठीचार्ज अनासक्ति एवं आदेश (आ) की कपी भी हेतु डिन्डी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इलाहा को डिन्डी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर सुरादाबाद के पत्र संख्या- 2018 दिनांक 13-01-2020 द्वारा लाठीचार्ज की धनराशि के जमा के सम्बन्ध अंतर्गत करने का अनुरोध किया गया है। शून्यता प्रारित न होने की वशा में डिन्डी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर सुरादाबाद के पत्र संख्या- 1031 दिनांक 01-02-2021 द्वारा डिन्डी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इलाहा को अनुरोध प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में डिन्डी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इलाहा द्वारा तत्कालीन डिन्डी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर सुरादाबाद को अपने पत्र संख्या- 305 दिनांक 18-02-2021 द्वारा अनुरोध धनराशि जमा करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है। अर्गुमण्ड जमा न होने की वशा में डिन्डी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर सुरादाबाद के पत्र संख्या- 448 दिनांक 28-08-2021 द्वारा तत्कालीन डिन्डी कमिश्नर को अर्गुमण्ड जमा करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में तत्कालीन डिन्डी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर	शून्य

✓

							<p>मुद्रास्तर बढ़ाना जारी किया (संशुद्धी)। नवीकरण कर, इसका दस्ता पर संख्या 412 दिनांक 28.8.2021 स्थित जारी हुए बका बका का है कि का) जारी दस्ता इस कर के मुद्राई हेतु दिनांक दिनांक 19.12.2021 के द्वारा जारी किया गया। 11/11/1) की मजूरी करार जारी हुए कर प्रारंभित कर दिया गया है। किन्तु इस संकेत के अन्तर्गत के अन्तर्गत के करिबुद्धि मुद्रा 11/11/1) जारी जारी हेतु मुद्रा पर संख्या 1426 दिनांक 21.12.2021 दस्ता पर स्थित किया गया है। जमा का प्रमाण पर 02 है। अन्तर्गत करिबुद्धि की सेवा के स्थित कर दिया जायेगा।</p>	
02	राज्य कर विभाग, मुद्रास्तर जोन, मुद्रास्तर	4 रजम, सहा(अनुमोदन) एवं अनुमोदन अधिकारी खण्ड-1 किजनी	19-06-2018	₹ 25000.00	<p>अतिरिक्त अतिरिक्त जमा कार्य जमा हेतु संबन्धित अधिकारी को इस दस्ता से पर संख्या- 800 दिनांक 07-07- 2020 स्थित किया गया था। जिसके अन्तर्गत में दस्ता पर जानत जानकारी के अनुसार संबन्धित अधिकारी द्वारा मा) अन्तर्गत के समस्त प्रतिवेदन किया गया है। जिसकी सूचना त्रिस्तिकी, किजनी की सेवा में भी स्थित की गयी है।</p>	मुद्रा	<p>अतिरिक्त अतिरिक्त के अन्तर्गत के अतिरिक्त (अतिरिक्त) दिनांक के पर संख्या- 114 दिनांक 19.12.2021 को हुए अतिरिक्त के दिनांक 19.12.2021 का प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी जारी है। अतिरिक्त अतिरिक्त द्वारा अतिरिक्त मुद्रा अन्तर्गत के अन्तर्गत अतिरिक्त अतिरिक्त के अन्तर्गत पर संख्या 477 दिनांक 01-07- 2021 के द्वारा भी स्थित किया गया है। पर, अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त पर सं. 214 दिनांक 19.12.2021 को स्थित जारी की सूचना अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त कर एवं अनुमोदन अतिरिक्त खण्ड-1 दिनांक के पर सं. 50 दिनांक 01-07-2021 का स्थित की गयी है।</p>	मुद्रा

2/2

03	वाणिज्य कर	श्री दिव्यामूर्ति, कार्यालय राज्य कर अधिकारी खण्ड-1, बिजनौर	16.07.2018	25000.00	अधिरोधित अर्धदण्ड जमा कराये जाने हेतु संबंधित खण्ड के डि०फर्मि० को इस स्तर से पत्र सं०- 769 दि० 28.02.2020, पुनः पत्र सं०- 816 दि० 18-03-2020 प्रेषित किये गये हैं।	शून्य	अधिरोधित अर्धदण्ड के संबंध में मा० जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या- 220 दिनांक 24.02.2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25.02.2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है। अर्धदण्ड समाप्त हेतु इस स्तर से मा० सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन पत्र संख्या-589 दिनांक 25.02.2021 से किया गया है। पुनः असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1, बिजनौर के पत्र सं०- 147 दिनांक 25.06.2021 द्वारा प्रत्यावेदन अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है।	
04	वाणिज्य कर	श्री राजेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर(कर)वा०/ अधिकारी, वा०(कर) गाजियाबाद	15.11.2017	25000.00	00	कोई नहीं	पुनर्वाचिका प्रा०पत्र मा० उ०प्र०राज्य सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 01.11.2018 में दखिल किया गया है। आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	मा० उ०प्र० राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।
05	वाणिज्य कर	श्री जे०पी०सिंह, से०(नि) डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) / तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वा०(कर) गाजियाबाद	27.01.2016	25000.00	00	कोई नहीं	मा० उ०प्र० राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/ आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	मा० उ०प्र० राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/ आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।
06	वाणिज्य कर	श्री इन्दजीत भयोरिया, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०)/जनसूचना अधिकारी, वा०(कर) मेरठ	02.01.2018	25000.00	00	00	कार्यवाही चल रही है।	कार्यवाही चल रही है।
07	वाणिज्य कर	श्री पू०सी०शर्मा, वर्तमान में ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स ऑडिट) वाणिज्य कर, मुरादाबाद	23.10.2018 (उ०प्र० सूचना आयोग का)	25000.00	शून्य	नहीं	दण्ड में निहित धनराशि जमा कराये जाने हेतु आहरण वितरण अधिकारी, मुरादाबाद को पत्र संख्या- 4407 दिनांक 01.01.2019 व अनुस्मारक पत्र	दण्ड प्राप्त अधिकारी द्वारा दिनांक 01.02.2019 में अपील दायर की गयी है।

			पत्रांक- 10879 दि. 11.12.2018 से पत्र)				संख्या-8135 दिनांक 06.03.19 व पत्र संख्या- 125 दिनांक 24.04.19 व पत्र संख्या- 702 दिनांक 25.06.19, पत्रांक- 2868 दि. 29.11.2019 एव पत्रांक- 140 दि. 18.06.20 प्रेषित।	
08	वाणिज्य कर	श्रीमती सरिता सिंह तत्कालीन जनसूचना अधिकारी (कर्मि) (प्रशा.) वा.क.स. बांदा	22.11.2012	25000.00	00	00	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी डिप्टी कमिश्नर (प्रशा.) वाणिज्य कर, बांदा द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उनके प्रत्यक्षेण नगरी राज्य मुख्यालय आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ द्वारा भी लुनवाई की कोई तिथि नियत नहीं की गई है।	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी डिप्टी कमिश्नर (प्रशा.) वाणिज्य कर, बांदा द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि सिक्कायत अपील सं०-102482/सं०/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध नेरे द्वारा नगरी राज्य सूचना अध्यायक उ.प्र. लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक-104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो वर्तमान में लम्बित है।

17-05-21
(सोनिका)

असिस्टेंट कमिश्नर (जनसूचना)/सहायक जनसूचना अधिकारी
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।